

नाम न्यायालय
केस संख्या

उपखण्ड अधिकारी
विशदनागर (अयपुर)
78/809

प्रार्थनापत्र

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	आज्ञा या कार्यवाही
	04-10-17	<p>वकील फीके उक्त जवाब प्राप्त हो के किया गया था कि 28/10/17 को फेच हो गए तक पूर्व आदेश पूर्ण हो रहेगा।</p> <p style="text-align: right;">दिनांक उपखण्ड अधिकारी विशदनागर (अयपुर)</p>	
	17-11-17	<p>वकील उक्त पक्ष उपर बहस प्रार्थनापत्र उक्त पक्ष सुनी गयी तथा उक्त पत्रवाली को अपलोकेन का भवन किया गया। जो कि उक्त भवन हमने अपलोकेन किया कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17-11-17 को अज्ञात को भवनीय आस्थापना निवेदाज्ञा से पालन किया गया है। जो कि अपलोकेन पत्रवाली को बहस भवन हुए यह उचित पाते हैं कि ता फिलहाल इस मूल दोनो पक्षों को पालन किया जाना है कि वे विवादित आस्थापना की मौका व शकल रिपोर्ट की परामर्श के लिए रहे तथा उक्त अपलोकेन पत्रवाली को ना जाने प्रार्थनापत्र आस्थापना निवेदाज्ञा स्वीकार या confirm किया जाता है पत्रवाली को उक्त मुद्दा को न्याय से कठोर दायित्व दपना है।</p> <p style="text-align: right;">दिनांक उपखण्ड अधिकारी विशदनागर (अयपुर)</p>	

